प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

सेवा में,

1. पुलिस अधीक्षक,
फर्रूखाबाद।
2. नगर मजिस्ट्रेट
फर्रूखाबाद।
3. उपजिलाअधिकारी
सदर अम्रतपुर कायंमगंज
4 अभिहित अधिकारी
फर्रूखाबाद।

पंत्राक– मु0चि0अ0/त0नि0प्र0/कोरोना वायरस /2019–20/ दिनांक– 03 अप्रैल 2020

विषयः– प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु पान मसाला एवं तम्बाकू के विनिर्माण वितरण एवं विकय को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश– 786/तीन–18–6(9)18 दिनांक– 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक– 02 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू के प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर–18001805145 जारी किया गया है।

उक्त के कम मे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एफ0एस0डी0ए0/खाद्य/1122 दिंनाक 25.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे(छायाप्रति संलग्न) जो कि कोरोना महामारी के द्रष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–16(2) (iv) के अर्न्तगत पान मसाला के विनिर्माण वितरण एवं विकय पर अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है

चूकि तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देश्यीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल पान मसाला एवं तम्बाकू के विनिर्माण वितरण एवं विकय को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

61-2

पत्रांक व दिनाक उक्त–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फर्रूखाबाद।